द्वारा दिए गए सुस्पष्ट आश्वासन और वचन का ध्यान रखा है। 1 दिसम्बर, 1992 को दिए गए अपने आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार और साथ-ही-साथ केन्द्र सरकार को यह निर्देश भी दिए हैं कि इस तथ्य का पर्याप्त प्रचार किया जाए कि प्रस्तावित कार सेवा के दौरान कोई निर्माण गतिविधि न हो अथवा अधिगृहीत भूमि पर कोई निर्माण सामग्री न ले जाई जाए। केन्द्र सरकार ने इस विषय में उपयुक्त कार्रवाई की है।

मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है और इसलिए न्यायाधीन है।

कल्याण संगठनों को विदेशी सहायता

2101. **श्री राम नरेश यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ऐसे कल्याण संगठन कितने हैं जिन्हें विदेशी सहायता मिल रही है; और

(ख) दोनों राज्यों से संबंधित ऐसे आवेदन पत्रों की कुल संख्या कितनी है जो विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए कल्याण संगठनों के पंजीकृत कराने हेतु केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लंबित है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रमशः 319 और 461 एसोसिएशन हैं जिन्होंने विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की सूचना नियम, 1976 के अधीन वर्ष 1990 के दौरान विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की सूचना दी है।

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन बिहार और उत्तर प्रदेश के क्रमशः 288 और 412 आवेदन पंजीकरण के लिए लंबित हैं।

पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण

2102. **श्री राम नरेश यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुलिस विभाग में सुधार करने अथवा उसके आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों से कुछ सुझाव/प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुलिस विभाग में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) (क) और (ख) राज्य के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राज्य सरकार से वाहनों संचार उपकरणों, जांच एवं प्रशिक्षण के लिए वैज्ञानिक संसाधनों की मदों के लिए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है।

(ग) चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है, इसलिए अपने पुलिस विभागों में आवश्यक परिवर्तन लाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

Reforms in the area of Crime Investigation

2103. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of Chief Ministers was held recently in connection with the reforms needed in area of crime investigation, changes needed in the laws such as the Cr. P.C. and I.P.C. and the Evidence Act; and

(b) if so, the outcome of the conference and the steps proposed to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : (a) Yes Sir. A Conference of Chief Ministers was held on 13th November, 1992 at New Delhi to discuss the various issues pertaining to the Administration of Criminal Justice.